लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/एच/शा.शि./1/2009–10//901 भोपाल, दिनांक 8./09/2010

:: आदेश ::

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था.2/एच/शा.शि./1/2009–10/1252–53 दिनांक 5.08.10 तथा संशोधन आदेश क्रमांक/स्था.2/एच/शा.शि./1/2009–10/1277–78 दिनांक 5.08.10 द्वारा व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान) एवं जिला क्रीडा एवं कल्याण निरीक्षक पद से व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद पर पदोन्नति की जाकर कालॅम 8 अनुसार पदस्थापना आदेश जारी किये गये थे ।

स. क्र.	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	लोक सेवक का नाम	लोक सेवक का आई कोड	वर्तमान संस्था का नाम	वर्तमान संस्था का डाइस कोड	जाति संवर्ग	पदांकित संस्था
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27/01/95	श्री शंकर सिंह ठाकुर	AM3430	शा.बा उ.मा.वि. संयोगितागंज इंदौर	23260177722	सामान्य	शास. तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी
2	31/03/99	श्री किशन लाल मेहरा	AQ7859	कार्या.जि.शि. अधि. मंदसौर	–	अजा	शास. तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी

2/ पदोन्नति आदेश की कंडिका 2..6 [illegible] में दिंनांक 16 अगस्त 2010 तक पदोन्नत व्याख्याता को पदांकित संस्था में अपनी उपस्थिति व्याख्याता पद पर देने के निर्देश दिए गए एवं पदोन्नत व्याख्याताओं द्वारा पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति निरस्त किये जाने का उल्लेख था, श्री किशनलाल मेहरा व्दारा न तो निर्धारित दिनांक तक पदोन्नत स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया गया और न ही कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढाये जाने के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत किया । श्री शंकरसिंह ठाकुर को उनके व्दारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 16/9/10 तक का समय बढाया गया था किन्तु उनके व्दारा बढाई गई अवधि तक भी कार्यभार ग्रहण नही किया गया । अतः दोनो ही व्याख्याताओ व्दारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण न करने के परिणाम स्वरूप उनकी पदोन्नति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है ।

3/ इन लोक सेवको की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने पर पदोन्नति निरस्तीकरण आदेश की विधिवत् प्रविष्टि की जाय । इन लोक सेवको के प्रकरणों में एक वर्ष के भीतर अथवा अगली रिक्ति उद्भूत होने की तिथि पर जो भी पहले हो नवीन पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा । उच्च सवर्ग /पद के वेतनमान से परिणामिक पदोन्नति पर ये लोक सेवक पूर्व में पदोन्नत किए उनसे कनिष्ठ की तुलना में वरिष्ठता से वंचित हो जावेंगे ।

1.11.2010

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठां. कमांक/स्था.2/एच/शा.शि./1/2009–10/1902 भोपाल, दिनांक 8/11/2010
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. जिला–कलेक्टर शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग इंदौर, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर, मंदसौर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित लोक सेवको के एक वर्ष की समय सेवापुस्तिका में निर्देशानुसार प्रविष्टि करे । एवं भविष्य में पदोन्नति हेतु भेजे जाने वाले प्रस्तावों में इस तथ्य का उल्लेख करें।
8. प्राचार्य, तात्याटोपे शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी ।
9. संबंधितो की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश